न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर रेलवे, बरेली।
पीठासीन अधिकारी– अनामिका सिंह–I (उ0प्र0 न्यायिक सेवा) JO Code- UP2526
CNR No. UPBR340001092010

वाद संख्या–3668 / 2010

सरकार.....परिवादी।

बनाम

अशोक कुमार पुत्र जय सिंह पाल, निवासी–ग्राम कैनी, थाना–'अलीगंज, बरेली।.....अभियुक्त।

मु0अ0सं0–1007 / 2010
धारा–160(2) रेल अधिनियम।
थाना–आर0पी0एफ0 पोस्ट बरेली जं0 बरेली।

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद आर0पी0एफ0 पोस्ट बरेली जं0 बरेली द्वारा अभियुक्त अशोक कुमार के विरूद्ध मु0अ0सं0–1007 / 2010, धारा–160(2) रेल अधिनियम हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांकः 14.06.2010 को समय 07:50 बजे, बहद स्थान रेलवे गेट संख्या–10(B) ऑवला में वाहन पंजीयन संख्या–UP07K3279 के चालक द्वारा उक्त वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए यातायात के लिए बंद उक्त गेट के दक्षिण दिशा के बूम में टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। अतः उक्त वाहन के चालक अशोक कुमार को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना–आर0पी0एफ0 पोस्ट बरेली जं0 बरेली में मु0अ0सं0–1007 / 2010, धारा–160(2) रेल अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा न्यायालय से अपनी जमानत करायी गयी।

जॉच अधिकारी द्वारा बाद तमामी जॉच अभियुक्त के विरूद्ध धारा–160(2) रेल अधिनियम के तहत शिकायत–पत्र विचारण हेतु इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

अभियुक्त आज न्यायालय में उपस्थित है। इस स्तर पर अभियुक्त द्वारा जुर्म संस्वीकृति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वह अपना जुर्म स्वीकार करना चाहता है। अभियुक्त को अवगत कराया गया कि उसे जुर्म स्वीकार करने पर सजा हो सकती है, अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि वह स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करना चाहता है। अतः जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसके वाद का निस्तारण कर दिया जाये। अतः अभियुक्त का जुर्म ईकबालिया बयान अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से अपने जुर्म को स्वीकार किया गया एवं मुकद्मा सही चलना कहा।

स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा–160(2) रेल अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में जमानत पर है। अतः अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए उसके निजी बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभू को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को लंच पश्चात् सुना जाएगा।

दिनांकः 24.07.2026

(अनामिका सिंह–I)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, बरेली।
JO Code- UP2526

सजा के प्रश्न पर

पत्रावली पुनः लंच बाद पेश हुई। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है। दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

बचाव पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि वह अत्यन्त हीं गरीब व्यक्ति है एवं ड्राईवरी का काम कर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। वह लगभग सोलह वर्षों से उक्त मुकद्मा लड़ रहा है। उसे अपने पेशे के कारण अक्सर बाहर जाना पड़ता है जिस कारण वह अपने मुकद्मे में पैरवी नहीं कर पा रहा है। वह उक्त मुकद्मे में पूर्व में जेल में रह चुका है। पूरे परिवार के भरण–पोषण की जिम्मेदारी उसी पर है। इन अभिकथनों के साथ अभियुक्त को न्यूनतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गई है।

अभियुक्त के विरूद्ध शिकायत–पत्र न्यायालय में प्राप्त हो चुका है। शिकायत–पत्र में अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धी एवं पूर्व आपराधिक इतिहास का अंकन नहीं है।

.....2

इस प्रकार पत्रावली पर अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास उपलब्ध नहीं है तथा अभियुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि अभियुक्त उक्त प्रकरण में पूर्व में दिनांकः 14.06.2010 से दिनांकः 21.06.2010 तक न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है। विधि का सुधारात्मक सिद्धांत यह कहता है कि **"यदि कोई अपनी गलती पर पश्चाताप करता है और सुधरना चाहता है तो जीवन में उसे इसका एक अवसर दिया जाना चाहिए।"** न्यायालय की राय में अभियुक्त की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा–160(2) रेल अधिनियम हेतु दोषसिद्ध पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना विधिसम्मत है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अशोक कुमार को वाद संख्या–3668/2010, मु0अ0सं0–1007/2010, थाना–आर0पी0एफ0 पोस्ट बरेली जं0 बरेली प्रकरण में अन्तर्गत धारा–160(2) रेल अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति, उसके पश्चाताप, वाद की प्राचीनता तथा पूर्व में दिनांकः 14.06.2010 से दिनांकः 21.06.2010 तक जेल में बिताई गई अवधि को दृष्टिगत रखते हुए **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा–4** का लाभ देते हुए **छः माह** की अवधि हेतु परिवीक्षा तथा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा–5 के अर्न्तगत मु0 **1,000/–रूपये (मुबलिक एक हजार रूपये)** अभियुक्त द्वारा वादी पक्ष रेल विभाग को बतौर क्षतिपूर्ती प्राप्त कराये जाने पर, अभियुक्त को इस शर्त के साथ छोड़ा जाता है कि दौरान परिवीक्षा अभियुक्त सदाचारण बनाए रखेगा तथा कोई अपराध कारित नहीं करेगा। शर्त भंग होने की दशा में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को तलब कर उचित दण्डादेश पारित किया जाएगा।

अभियुक्त द्वारा मु0 20,000/–रूपये का निजी बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ उसे छोड़ा जाता है कि वह 15 दिन के भीतर प्रोबेशन अधिकारी बरेली के समक्ष मु0 20,000/–रूपये का निजी बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करेगा।

उपरोक्त निर्णय की प्रति अविलम्ब दोषसिद्ध अभियुक्त को उपलब्ध करायी जाये तथा निर्णय की एक प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी बरेली को प्रेषित किया जाए। उक्त आदेश का अनुपालन कार्यालय लिपिक अविलम्ब करना सुनिश्चित करें। जिला प्रोबेशन अधिकारी बरेली को आदेशित किया जाता है कि यदि 15 दिन के अन्दर अभियुक्त द्वारा उपस्थित होकर न्यायालय की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो, जिला प्रोबेशन अधिकारी बरेली न्यायालय को पत्र के माध्यम् से सूचित करेंगे।

दिनांकः 24.07.2026

(अनामिका सिंह–I)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, बरेली।
JO Code- UP2526

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 24.07.2026

(अनामिका सिंह–I)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, बरेली।
JO Code- UP2526